सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी(राजस्व), संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 644/2022

वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

1. अलीशेर पुत्र बलिया खान जाति राठ निवासी खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर(राज.)
2. नवाब अली पुत्र बलिया खान जाति राठ निवासी खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर(राज.)

– वादीगण

बनाम्

1. नूरजहॉं पत्नी बलिया खान जाति राठ निवासी खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर(राज.)
2. खुरशेदा पुत्री बलिया खान जाति राठ निवासी खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर(राज.)
3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–

वादीगण की ओर से :– श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :– श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :–11.02.2023

वादीगण अलीशेर वगैरा ने प्रतिवादीगण नूरजहॉं वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि प्रतिवादीया सं. 1 वादीगण की माता एवं प्रतिवादी सं. 2 वादीगण की बहिन है जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 के पिता एवं प्रतिवादीया सं. 1 के पति स्व. बलियाबाई पुत्र दिल्लू के नाम से तहसील संगरिया के चक 27 ए.एम.पी. के खाता सं. 108/83जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में 1.771 है. कृषि भूमि में से 1/4 हिस्सा अर्थात् 0.44275 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिसनामा की चित्रप्रति सलंग्न वाद

लगातार ––2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की संयुक्त खाता की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया जिसमें प्रतिवादी सं. 2 ने उक्त कृषि भूमि में अपने हक व हिस्सा का परित्याग मौखिक रूप से वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया। प्रतिवादी सं. 2 का अब उक्त कृषि भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नही रहा हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हैंः–

(क) **वादीगण अलीशेर एवं नवाब अली पुत्रगण बलिया खान समस्त जाति राठ निवासीगण खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की ब.हि.ब. कृषि भूमि :–**

तहसील संगरिया के चक 27 ए.एम.पी. के खाता सं. 108/83 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में 0.31675 है. कृषि भूमि

(ख) **प्रतिवादी सं. 1 नूरजहाँ पत्नी बलिया खान जाति राठ निवासी खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर(राज.)के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः–**

तहसील संगरिया के चक 27 ए.एम.पी. के खाता सं. 108/83 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में 0.126 है. कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें

लगातार ––3

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादीगण का हित एवं स्वत्व निहित है। वादीगण ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 व 2 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा राजीनामा पेश किया गया जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 3 का जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादीगण के द्वारा तहसील संगरिया के चक 27 ए.एम.पी. के खाता सं. 108/83 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 की जमाबन्दी की प्रति पेश की गई जो प्रदर्श–1 ता 4 है। साक्ष्य वादीगण में वादी सं. 1 का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादीगण के अभिभाषक ने कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नही है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादीगण ने राजीनामा अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादीगण ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 के पिता एवं प्रतिवादीया सं. 1 के पति स्व. बलियाबाई पुत्र दिल्लू के नाम से तहसील संगरिया के चक 27 ए.एम.पी. के खाता सं. 108/83 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में 1.771 है. कृषि भूमि में से 1/4 हिस्सा अर्थात् 0.44275 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तहसील संगरिया के चक 27 ए.एम.पी. के खाता सं. 108/83 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 की जमाबन्दी की प्रति पेश की गई। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1

लगातार ––4

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

व 2 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक राजीनामा एवं सहमति के जवाब दावा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 के पिता एवं प्रतिवादीया सं. 1 के पति स्व. बलियाबाई पुत्र दिल्लू के नाम से तहसील संगरिया के चक 27 ए.एम.पी. के खाता सं. 108/83 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में 1.771 है. कृषि भूमि में से 1/4 हिस्सा अर्थात् 0.44275 है. कृषि भूमि में से वादीगण को 0.31675 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के एवं प्रतिवादी सं. 1 को 0.126 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर स्व. बलियाबाई पुत्र दिल्लू का नाम कलमजन किया जाता है।

नोटः– यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः– रमेश देव(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 644/2022

1. अलीशेर पुत्र बलिया खान जाति राठ निवासी खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर(राज.)
2. नवाब अली पुत्र बलिया खान जाति राठ निवासी खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर(राज.)

– वादीगण

बनाम्

1. नूरजहाँ पत्नी बलिया खान जाति राठ निवासी खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर(राज.)
2. खुरशेदा पुत्री बलिया खान जाति राठ निवासी खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर(राज.)
3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :– 11.02.2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **रमेश देव(आर.ए.एस.)** के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री महावीर बेरड़** वकील वादीगण मिन जामिन मुदई **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 के पिता एवं प्रतिवादीया सं. 1 के पति स्व. बलियाबाई पुत्र दिल्लू के नाम से तहसील संगरिया के चक 27 ए.एम.पी. के खाता सं. 108/83 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में 1.771 है. कृषि भूमि में से 1/4 हिस्सा अर्थात् 0.44275 है. कृषि भूमि में से वादीगण को 0.31675 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के एवं प्रतिवादी सं. 1 को 0.126 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर स्व. बलियाबाई पुत्र दिल्लू का नाम कलमजन किया जावे।

नोट :– यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज .....×..... निल .....×..... मुब्लिक .....×.....निल .....×..... बाबत् .....×.... निल.....×..... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....×.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज **दिनांक 11.02.2023** को जारी किया जाता है।

(रमेश देव)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया